शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य दिनांक:02.11.2024

थाना रोजा पुलिस विद्युत तार चोरी मे वांछित अभियुक्त को मय 25 कि0ग्रा0 चोरी के विद्युत तार सहित किया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर महोदय के निर्देशनुसार, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अपराध रोकधाम व गिरफ्तारी वाँछित अभियुक्त के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रोजा के नेतृत्व मे थाना रोजा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित चोर को करीब 25 कि0ग्रा0 33KV विधुत एल्युमिनियम स्टील तार के साथ करीब 06.50 बजे खनौत्त नदी के पुल के पास से किया गिरफ्तार। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 10-09-2024 को श्री संजीव कुमार अवर अभियन्ता 33/11 Kv विधुत उपकेन्द्र अटसलिया की लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 563/24 धारा 303(2) बी.एन.एस थाना स्थानीय पर बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। अवर अभियन्ता द्वारा शिकायत दर्ज करायी गयी कि अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा रात के समय विधुत लाइन तार को काटकर चोरी किया जाता है ग्राम बसुलिया क्षेत्र अब तक बंद पड़ी powergrid 33 Kv लाइन का काफी तार चोरी हो चुका है। मुकदमा उपरोक्त मे पूर्व मे दिनांक 28.09.2024 को दो अभियुक्तगण 1. सत्यपाल पुत्र आशाराम निवासी ग्राम मऊ बासक थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर 2. शेरपाल पुत्र नन्हेलाल निवासी ग्राम मऊ बासक थाना सदर बाजार जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। मुकदमा उपरोक्त मे वांछित चल रहे अभियुकत धनपाल को आज दिनांक 02/11/2024 को मुखबिर की सूचना पर खन्नौत नदी के पुल के पास से समय करीब 06.50 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की निशादेही पर चोरी का 25 कि0ग्रा0 33KV विद्युत तार बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. धनपाल पुत्र जानकी प्रसाद निवासी ग्राम मऊ बांसक थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर उम्र करीब 35 वर्ष

पंजीकृत अभियोगः –

1. मु0अ0स0 563/24 धारा 303(2) व 317(2) BNS थाना रोजा जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी समय व स्थान -

दिनांक 02/11/2024 को समय करीब 06.50 बजे खनौत्त नदी के पुल के पास से

अपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त धनपाल :-

1. मु0अ0सं0 552/20 धारा 60(2) आबकारी अधि0 व 272 भा.द.वि थाना सदर बाजार
2. मु0अ0सं0 810/22 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना सदर बाजार शाह0
3. मु0अ0सं0ल 285/19 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना सिंधौली शाह0

बरामदगी का विवरण –

1. एक बण्डल विधुत तार 33 KV करीब 25 किलो

पूछताछ विवरणः-

धनपाल पुत्र जानकीप्रसाद निवासी प्रसाद निवासी ग्राम मऊ बांसक थाना सदर बाजार शाहजहाँपुर ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब हमारे गाँव का सत्यपाल पुत्र आशाराम पूर्व मे बिजली विभाग मे संविदा पर काम करता था तब

सत्यपाल ने मुझे और शेरपाल को बताया था कि पैहना विधुत उपकेन्द्र से चकभिटारा जाना वाली 33 KV की लाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण बन्द पडी है जिसके बाद हम तीनो लोग मिलकर बन्द पड़ी 33KV की विधुत लाइन से विधुत तार काट कर चोरी करते रहते थे तथा चोरी किये हुए तारो की छोटे छोटे बण्डल बनाकर फेरी करने वालो को बेच देते थे व कुछ चोरी किया हुआ तार हम लोगो ने सल्लिया तिराहे पर बन्द पडे भट्टे मे रख रखा था जिसे हम लोग बेचने की फिराक मे थे तब हम दिनाँक 29.09.2024 को चोरी किये गये तार को बेचने के लिये सल्लिया भट्टे पर गये थे तब मै वाहन का इन्तजाम करने के लिये मौके से चला गया था बाकी मेरे दोनो साथी सल्लिया तिराहे पर मेरा इन्तजार कर रहे थे जिन्हे पुलिस के द्वारा सल्लिया तिराहे पर पकड लिया गया था तब उन्होने सडक से पश्चिम दिशा मे सल्लिया भट्टे मे रक्खा हुआ चोरी का तार पुलिस को बरामद करा दिया था। जब मुझे उन दोनो के पकडे जाने की जानकारी हुयी तो मै वहाँ पर नही गया था और सडक से दूसरी तरफ भट्टे के खण्डर मे एक बण्डल चोरी का तार रखा हुआ है जो मैने ही खण्डर के पास छिपाया था आप कहे तो मै उसे बरामद करा सकता हूँ।

गिरफ्तारी टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक रोजा श्री राजीव कुमार
2. उ0नि0 वेदपाल सिंह पुन्डीर
3. उ0नि0 राजेश कुमार
4. हे0का0 हरनाम सिंह
5. का0 विशाल अष्टवाल